रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर

A-32/07,आवास विकास कालोनी, रामपुर (उ०प्र०)–244901
Ph. No. : 0595-2352001, email id: rdarampur@gmail.com, & Website : www.rdarampur.com

पत्रांक :– 1910 /आर0डी0ए0/2026–27 दिनांक– 19/11/2026

विज्ञप्ति

रामपुर विकास प्राधिकरण में तत्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत् 65 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता (सिविल) को सहायक अभियन्ता (संविदा) के रूप में रामपुर विकास प्राधिकरण में एक वर्ष की अवधि के लिए नियत मानदेय पर सेवा में रखे जाने हेतु दिनांक 20.11.2026 से दिनांक 27.11.2026 तक आवेदन–पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन–पत्र एवं सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तें प्राधिकरण की वेबसाइट www.rdarampur.com पर एंव रामपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त की जा सकती है।

सचिव 19/11/26

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आवेदित पद का नाम .....
2. आवेदक का नाम .....
3. पिता/पति का नाम .....
4. जन्मतिथि .....
5. 20.11.2026 को आयु .....वर्ष.....माह.....दिन
6. सेवानिवृत्त का पद .....
   (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. सेवानिवृत्त का विभाग .....
8. आरक्षित श्रेणी का नाम .....
   (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
9. पत्राचार का पता .....
10. स्थायी पता .....
11. शैक्षिक योग्यता .....
12. मो0 नं0/ई–मेल आई0डी0 .....
13. अधिवर्षता पूर्ण होने के उपरान्त अवमुक्त होने एंव पी0पी0ओ0 की छायाप्रति संलग्न करें।

आवेदक का
स्वहस्ताक्षरित फोटो

घोषणा :–

मैं घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त सभी सूचनायें बिन्दु सं०–1 से 13 तक तथा संलग्न सभी सूचनायें सत्य है तथ मेरे द्वारा सूचना छिपायी नहीं गयी है। यदि भविष्य में कभी यह पाया जाये कि मेरे द्वार कोई मिथ्य सूचना/अभिलेख प्रस्तुत किया गया है/की गयी है, तो मेरी नियुक्ति बिना कोई कारण बताये निरस्त करते हुये व्यय/जोखिम पर वैधानिक कार्यवाही की जाये।

हस्ताक्षर
आवेदक का नाम–
पता–
फोन नं0–

नियम एवं शर्तें

1. **आवेदन कैसे करें**– अभ्यार्थी अपना आवेदन सचिव, रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर के पक्ष में पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं अथवा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक किसी भी कार्य दिवस में आरडीए कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
2. **आवेदन शुल्क**– कोई आवेदन शुल्क देय नहीं है।
3. **आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि**– आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 27.11.2026 शाम 5:00 बजे है। अंतिम तिथि के बाद जमा किए गए फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
4. **पात्रता शर्तः**– विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद/किसी राजकीय विभाग में सिविल इंजीनियर से सेवा निवृत्त सहायक अभियन्ता ही सहायक अभियन्ता (संविदा) पद के लिये पात्र होगें।

4.1 **राष्ट्रीयता**– आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।

4.2 **आयु सीमा**– अभ्यर्थी की आयु 20.11.2026 तक 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5. **चयन मानदंड**– अभ्यर्थी का चयन केवल साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।
6. **नियुक्ति की अवधि**– नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये, पूर्णतया अस्थायी।

अन्य नियम एवं शर्तें

1. सेवानिवृत्ति से पूर्व प्राधिकरण/आवास विकास परिषद या किसी राजकीय विभाग में सिविल इंजीनियर के रूप में समकक्ष पद पर कार्यरत रहा हो।
2. कार्मिक को पूर्णत स्वस्थ्य होना चाहिए एवं उसे चिकित्सक द्वारा निर्गत फिटनेस चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. इस प्रकार की रीति से तैनात किये जाने वाले कार्मिकों की सेवायें पूर्णतया अस्थायी होगी।
4. सेवानिवृत्त कर्मचारी के अपने पूरे सेवाकाल में किसी प्रकार का कोई दण्ड न प्राप्त हुआ हो।
5. मानदेय पर तैनात किये जाने वाले कार्मिकों को निर्धारित मानदेय धनराशि का भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि/भत्ता देय नहीं होगा। मानदेय का भुगतान आयकर अधिनियम 1961 के प्राविधानों के अधीन किया जायेगा।
6. इस प्रकार मानदेय पर तैनात कार्मिकों की तैनाती एक वर्ष की अवधि के लिये (यदि इसे पूर्व में समाप्त न कर दिया जाये) की जायेगी, जिसे उनकी कार्य क्षमता एवं कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत् सक्षम स्वीकृति उपरान्त आगे बढ़ाया जा सकेगा। उपाध्यक्ष कार्मिक की सेवायें बिना किसी नोटिस के किसी भी समय समाप्त कर सकेंगे। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।
7. आवेदकों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से उपाध्यक्ष/उनके द्वारा नामित किसी अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
8. चयनित तकनीकी कार्मिक उपाध्यक्ष द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों का सम्पादन करेंगे।
9. चयनित तकनीकी कार्मिकों को योगदान के पूर्व इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह पूर्ण निष्ठा के साथ प्राधिकरण के हित में कार्य करेंगे। यदि उनका कोई कार्य प्राधिकरण हित के विपरीत पाया जाये तो प्राधिकरण उनकी सेवायें किसी समय समाप्त कर सकता है। चयनित तकनीकी कार्मिक मानेदय के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के वेतन भत्ते आदि की मांग नहीं करेगा और न ही प्राधिकरण के विरूद्ध किसी प्रकार का दावा किसी न्यायालय में करेगा। चयनित कार्मिक की सेवाओं के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा और कार्मिक को हर हाल में स्वीकार होगा।